



प्रबंधक, युको बैंक, सिर्सई
वनाम
रतिया खड़िया

कार्यालय, अंचल अधिकारी, सिर्सई।

आदेश फलक

जिला - गुमला।

नीलाम पत्र वाद संख्या - 1/17-18

देश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं तिथि	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि
22.8.17	अधियाची पदाधिकारी प्रबंधक, युको बैंक, सिर्सई। से लोक मांग वूसली अधिनियम की धारा 7 के तहत नीलाम पत्र वाद दायर करने की अधियाचना प्राप्त हुई है। जिसमें श्री रतिया खड़िया पिता बुधु खड़िया के विरुद्ध देनदार गाम-ओलमुडा पोस्ट-सिर्सई जिला-गुमला दिखाते हुए मो 24,202 = रु 24,202 (चौरस हजार दो सौ दो) रु0 बकाया दर्शाया गया है। अधियाची पदाधिकारी, ने कोर्ट की दाखिल किया/ नहीं किया गया है। अधियाचना के परीक्षण से यह प्रतीत होता है कि बकाया उचित है और वाद द्वारा विधि वर्जित नहीं है। अतः पंजीकृत करते हुए देनदार के विरुद्ध अधिनियम की धारा 7 के तहत सूचना निर्गत करें। दिनांक 22.8.17 को रखें।	
	लेखापित नीलाम पत्र पदाधिकारी, सिर्सई (गुमला।)	नीलाम पत्र पदाधिकारी सिर्सई (गुमला।)
22.8.17	ओलमुडा पोस्ट-सिर्सई जिला-गुमला अनुपस्थिति पद अनुपस्थिति। दिनांक 6.10.17 को रखें।	